

बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक



क्षेत्रीय कार्यालय: 3-डी, ताशकन्द मार्ग,

प्रयागराज-211001 (उ.प्र.) फोन: 7311121885, फैक्स: 0532-2607653

नीलामी
सूचना

जबकि, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इलाहाबाद के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्णगठन तथा प्रदत्त इकाइयों का प्रयोग करके हुए निम्नलिखित ऋणियों को नोटिस जारी की गई थी तथा बधाक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामाजिक ऋणियों/बधाकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की विकी प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हेतु प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इलाहाबाद के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी “जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है” है जैसी है, जो है जैसी है के आधार पर ” नीलामी हेतु प्राप्त टेंडरों में से सर्वाधिक राशि के टेंडरों के पक्ष में की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त अधिनियम के नियम 8 के उपनियम 6 के अंतर्गत निर्धारित तिथि 20.05.2019 एवं स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 3-डी, ताशकन्द मार्ग, इलाहाबाद और समय प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे के मध्य नीलामी के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

अंतिम तिथि EMD/Document जमा करने के लिए 18.05.2019 सायं 05:00 बजे तक है।

क्र. सं.	खातेदारों/जमानतदारों का नाम एवं पता बकाया धनराशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	निर्धारित आक्रित मूल्य/अग्रिम धनराशि (रु.)
1.	ऋणी: श्री बबूराम पाल जमानतकर्ता: (1) श्री स्वामीनाथ द्विवेदी (2) श्री रामलाल कुल बकाया राशि रु. 1,81,132/- + ब्याज एवं अन्य खर्च। शाखा : रामपुर	सभी सम्पत्ति एवं उसके भाग आराजी सं. 137 जोकि ग्राम-चनैनी, पोस्ट-अरैल, तहसील-करछना, जिला-प्रयागराज में स्थित है। चौहद्दी : पूरब : रिक्त भूमि, पश्चिम : रिक्त भूमि एवं चक रोड, उत्तर : राम पाल का मकान, दक्षिण : बनवारी लाल का खेत।	रु. 4,46,000/- रु. 44,600/-
2.	ऋणी: श्री महेश चन्द्र केसरवानी जमानतकर्ता: (1) श्री लाल चन्द्र केसरवानी (2) श्री अम्बरेश चन्द्र केसरवानी। कुल बकाया राशि रु. 2,91,330/- + ब्याज एवं अन्य खर्च। शाखा : सिकन्दरा	सभी सम्पत्ति एवं उसके भाग आराजी सं. 148 जोकि ग्राम एवं पोस्ट-सिकन्दरा, तहसील-फूलपुर, जिला-प्रयागराज में स्थित है। चौहद्दी : पूरब : बैजनाथ मौर्या का खेत, पश्चिम : बहरिया-सिकन्दरा रोड, उत्तर : मोहम्मद शीबू का मकान, दक्षिण : प्यारे लाल गुप्ता का मकान।	रु. 12,30,000/- रु. 1,23,000/-
3.	ऋणी: श्रीमती मीरा देवी जमानतकर्ता: (1) श्री राकेश कुमार जायसवाल (2) श्री कमलेश कुमार पाण्डेय। कुल बकाया राशि रु. 5,97,488/- + ब्याज एवं अन्य खर्च। शाखा : तेलियरांग	सभी सम्पत्ति एवं उसके भाग मकान सं. 52/64, पूरावल्डी कीडगंज, तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज में स्थित है। चौहद्दी : पूरब : गली, पश्चिम : श्रीवास्तव जी का मकान, उत्तर : 64/51 छोटे लाल निसाद का मकान, दक्षिण : सुनील केसरवानी का मकान।	रु. 14,00,000/- रु. 1,40,000/-
4.	ऋणी: श्री मुमताज हुसैन जमानतकर्ता: (1) श्री मोहन लाल (2) श्री चिन्तामनी। कुल बकाया राशि रु. 3,42,360/- + ब्याज एवं अन्य खर्च। शाखा : मुख्य शाखा	सभी सम्पत्ति एवं उसके भाग मकान संख्या बी-668/5, करैली स्कीम, जीटीबी नगर, तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज में स्थित है। चौहद्दी : पूरब : इडब्ल्यूएस मकान संख्या बी-668/4 (शाहिद हुसैन), पश्चिम : इडब्ल्यूएस मकान संख्या बी-668/6 (जुबेर), उत्तर : सइक, दक्षिण : इडब्ल्यूएस मकान संख्या बी-666/7 (सईद अहमद)।	रु. 14,63,000/- रु. 1,46,300/-
5.	ऋणी: मेसर्स राज कॉपी सेन्टर प्रोप. राजेश कुमार जायसवाल जमानतकर्ता: (1) श्रीमती शशी प्रभा (2) मोहम्मद मुस्तफा। कुल बकाया राशि रु. 1,97,947/- + ब्याज एवं अन्य खर्च। शाखा : मुख्य शाखा	सभी सम्पत्ति एवं उसके भाग प्लाट संख्या 100/115, नखासकोना, तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौहद्दी : पूरब : उसी मकान का भाग, पश्चिम : अफसर लिफाफा वाले का मकान, उत्तर : सइक, दक्षिण : यादगार हुसैन स्कूल।	रु. 24,35,000/- रु. 2,43,500/-

नीलामी की तिथि एवं समय – 20.05.2019 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 01:00 बजे, नीलामी का स्थान : बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, 3 डी ताशकन्द मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

नीलामी विद्री के विरत्त नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिये कृपया बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सेक्योर्ड क्रेडिटर के वेबसाइट (<https://www.barodagraminbank.com>) का अवलोकन करें।

नियम व शर्तों :- (1) यह नीलामी “जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है के आधार पर” हो रही है। (2) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं विवरास तक नीलामी की जा सही सम्पत्तियां भारुक हैं फिर भी इच्छुक निवादाकर्ता को चाहिए कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व चतुर्त रूप से सभी भार, टाइटिल, क्वोग, देयताओं आदि की स्वयं जांच कर लें। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ चेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के लिए, अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। (3) यह निवादाकर्ताओं का उत्तरदायित है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्ण सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, वे नीलामी तिथि के पहले सम्पत्ति को निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए निवादाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद से संरप्त कर सकते हैं। (4) इच्छुक बोलीदाता विड धनराशि का 10 प्रतिशत धरोहर राशि बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में प्रयागराज में देवय हो, एक सील बंद लिफाफे में जमा करना होगा। प्रस्ताव दिनांक 18.05.2019 को सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे एवं उसे नीलामी तिथि को अपराह्न 02:00 बजे खोला जायेगा। (5) सफल बोलीकर्ता की EMD राशि बैंक के पास ही रहेगी तथा सभी असफल नीलामीकर्ता की धरोहर राशि बैंक द्वारा बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। (6) सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूलय से संरप्त कर सकते हैं। (7) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा करना होगा। (8) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम रूप से सभी बोली को भी स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार निररत/स्थगित करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। (9) सफल बोलीदाता को नियम के अनुसार सभी चार्जें/फीस जैसे स्टाप्स ड्रूटी, पंगीकरण शुल्क इत्यादि का वह स्वयं करना होगा। (10) प्राधिकृत अधिकारी चार्ज, लियेन, ऋणभार, सम्पत्ति कर एवं /या अन्य सरकारी देयताओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के करों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस कर के लिये क्रेता उत्तरदायी होगा। यह प्रकाशन नियम प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 30 दिन की नीटिस है। ऋणियों/जमानतदारों को यह सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पहले बैंक के कुल बकाया राशि तथा शेष बकाया राशि की वसूली ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित कर ली जायेगी, यदि कोई हो। (11) यदि नीलामी के निराहित तिथि को किसी